न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 75/2024(GCMS : 2024/108)

1. **विरेन्द्र सिंह** पुत्र श्री इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

--- प्रार्थी

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, श्रीकरणपुर**
2. **सुखपाल कौर** पुत्री दल सिंह पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जोहरड़ तहसील मलोट जिला मुक्तसर, पंजाब
3. **सिमरजीत कौर** पुत्री दल सिंह पत्नी हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डीडी, तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़
4. **परमजीत कौर** पुत्री दल सिंह पत्नी बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बाण्डा, तहसील व जिला अनूपगढ
5. **सुखदीप कौर** पुत्री इकबाल सिंह पत्नी गुरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
6. **गुरसेवक सिंह** पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

--- **अप्रार्थीगण**

06.08.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा एक वाद पत्र संख्या 181/2023 अनवानी सुखपाल कौर आदि बनाम इकबाल सिंह अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92 आरटीए का उपजिलाधीश, श्रीकरणपुर न्यायालय में कर रखा है, जिसमें प्रार्थी ... संख्या 1/1 हैं। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी दबाव में कार्यवाही कर ... इसलिए प्रार्थी प्रकरण को अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पर अप्रार्थी संख्या 1 पर राजनैतिक दबाब डलवा कर उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 अपने पक्ष में करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 राजनीतिक प्रभाव रखते है। इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण को छोटी छोटी तारीख पेशी में लिया जाकर प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि दिखाकर बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये मनमाना आदेश पारित करना चाहते है। इससे साफ जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी पक्षपात कर निर्णय पारित करना चाह रहे है, इसलिए भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया तौर से कहा है कि उसने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी – अप्रार्थी संख्या 1 से बात कर ली है तथा अपील से सम्बन्धित प्रकरण का फैसला उसके पक्ष में ही होगा, इसलिए प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। इसलिए उनके प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में कई बार आते–जाते देखा है, जिससे भी साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के दबाव में है। इसलिए उक्त प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त 202391)DNJ{Rev.} page 191 to 194 and 204(1) DNJ{Rev.} Page 04 to 06 एवं फार्म नं. 03 के साथ अन्य दस्तावेज पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वाद पत्र अनवानी सुखपाल कौर व अन्य बनाम इकबाल सिंह आदि धारा 88, 191, 188, 92 आरटीए विचाराधीन है, जो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के आशय से विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए मामला को अत्याधिक लम्बा करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हमारे द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव नहीं डाला गया है औ ना ही अप्रार्थी राजनैतिक प्रभाव रखते है। अप्रार्थीगण वर्तमान में गांव जोहड़ मलोट, पंजाब में रह रहे है तथा प्रार्थी के द्वारा राजनैतिक दबाब के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अभी तक बहस हेतु लम्बित है। प्रार्थी द्वारा षडयंत्र रखकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने पक्ष में जारी करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को लम्बा करने के आशय से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिस आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीया एक महिला है एवं कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गई। अप्रार्थीगण न्याय प्राप्त करने के लिए भटक रहे है और प्रार्थी द्वारा जानबूझकर उक्त प्रकरण में देरी के आशय से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी सुखपाल कौर के द्वारा प्रार्थी विरेन्द्र सिंह एवं अन्य के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई हुई है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी विरेन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक पैटीशन पेश की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by LokBandhu
Date: 2024.09.05 16:53:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी विरेन्द्र सिंह द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 56/2024, उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के प्रकरण संख्या 91/2023 अनवान् विरेन्द्र सिंह बनाम सुखपाल कौर के विरूद्ध पेश की हुई है। जिसमें **प्रार्थी विरेन्द्र सिंह द्वारा राजस्व रिकॉर्ड तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्राप्त कर रखा है।** इसलिए भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैनें, पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 181/2023 अनवानी सुखपाल कौर आदि बनाम इकबाल सिंह आदि को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया है। **उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।** इस न्यायालय को धारा 88, 91, 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के **प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है** अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी विरेन्द्र सिंह ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का राजनैतिक दबाव होने के कारण, उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सकता है। **मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय किसी भी अधिकारी पर भी लगाया जा सकता है।** इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। **न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:28 IST
Reason: SelfAttested